28-7-22

13

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 249 / 2022

प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र, जाति जाट, निवासी गांव ढिगाल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 28.07.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचनां का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 249 / 2022 पर दिनांक 12.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 3415—16 दिनांक 12.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 790 दिनांक 25.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 03.07.2022 को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 790 दिनांक 25.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 03.07.2022 को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.01 17:30:39 IST
Reason: SelfAttested

(एल.एस. कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं